सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun

Nature Protects if She is Protected

25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 **बी/यू०सी०पी०/09/193/2019/एफ०सी०** **दिनांक:**22/04/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव **(**वन**)**,
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः- जनपद-देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत चीला-मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव-3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0-2 मे बसाने हेतु 2.4 हे0 (1.8850 हे0 विस्थापन हेतु एवं 0.515 हे0 अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्यावर्तन)वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/REHAB/40824/2019)

सन्दर्भः- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 1786/12-1:देहरादून: दिनांक 20.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 11.11.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन **(**संरक्षण**)** अधिनियम, **1980** की धारा**-2** के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक**-** 20.04.2021 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तो की अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद- देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत चीला-मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव-3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0-2 मे बसाने हेतु 2.4 हे0 (1.8850 हे0 विस्थापन हेतु एवं 0.515 हे0 अन्य सुविधाओं हेतु प्रत्यावर्तन) वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन** हेतु **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः**-**

A: विस्थापना हेतु 1.885 है0 के सम्बन्ध मेंः

1- Legal Status of the forest land diverted under the Forest (Conservation) Act, 1980 for rehabilitation of villages from Khand Gaon 3 to Lal Pani Comptt. No. 2 shall cease to be forest land.

2- The land vacated by villagers shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department. Further, after transfer and mutation, the said land shall be notified by the State Government as RF under Section-4 of the Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act, before the issue of formal approval. The Nodal Officer shall report compliance in this regard along with a copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant sections of the local Forest Act, as the case may be, within the stipulated period to the Central Government for information and record.

3- The State Government shall take effective steps to ensure that the villagers being relocated from the National Park/WLS area do not return to the area. The rights of the relocated persons over the vacated land shall be legally extinguished using the due procedure as prescribed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

4- Area proposed for rehabilitation should be fenced properly to check encroachment in the adjoining forest area. Boundary of the forest block should be demarcated properly by erecting pillars with forward and backward bearings of their GPS readings.

5- In case the number of families' increases in the future, the State Government will adjust their land requirement from the contingency land and no additional forest land shall be used for their rehabilitation.

6- The relocation shall be undertaken only along the fringes of the forest such that all facilities to the resettled families can be provided without recourse to further diversion of forest land for providing infrastructure.

7- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

8- User Agency shall restrict the felling of trees to minimum numbers in the diverted forest land which will be not more than 206 and trees shall be felled under strict supervisions of the State Forest Department.

9- Land vacated in the protected area due to relocation of village shall be developed as per approved Wildlife Management Plan/ NTCA guideline/ CWLW.

10- No fragmentation of forests should take place due to the relocation project.

11- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of concerned Divisional Forest Officer.

12- The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

13- The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court orders, provisions, rules, regulation and guidelines for the time being in force as applicable to the project.

14- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guidelines.

B: प्रत्यावर्तन हेतु 0.515 **है0 वन भूमि के सम्बन्ध में:**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**

   (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 1.03 है0 अवनत वन भुमि, बीबीवाला कक्ष संख्या 5 पर 1030 पौधों का रोपण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

   (ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0 एम 0 एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस 0 एम 0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल 0 एम 0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 72 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
7. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
8. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
10. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
11. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व,

इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

14. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,
Signed by Neelima Shah
Date: 22-04-2024 12:19:13

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, उत्तराखण्ड।
4. आदेश पत्रावली।